न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 120/2015
GCMS NO. 2015/00737

बनवारी लाल पुत्र औंकार जाति गुर्जर उम्र 80 वर्ष निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.) **(मृतक)**

1/1. केशरी देवी पत्नि स्व. बनवारी
1/2. रामसिंह पुत्र स्व. बनवारी
1/3. रामकिशन पुत्र स्व. बनवारी
1/4. कैलाश पुत्र स्व. बनवारी
1/5. पप्पु पुत्र स्व. बनवारी
1/6. अभयसिंह पुत्र स्व. बनवारी
1/7. भाती पुत्री स्व. बनवारी
1/8. सन्तरा पुत्री स्व. बनवारी
1/9. धन्नी पुत्री स्व. बनवारी
1/10. अनिता पुत्री स्व. बनवारी
समस्त जाति गूर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.....वादी/वादीगण

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र भगवाना जाति गुर्जर निवासी रवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
2. बंशी पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
3. धर्मपाल पुत्र सुरजा जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतडी जिला झुंझुनू राज।
4. कृष्णा पुत्री सुरजा जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
5. सुनिता पुत्री सुरजा जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
6. बनवारी पुत्र औंकार जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतडी जिला झुंझुनू, राज।
7. सुरजी पत्नी हनुमान जाति गुर्जर निवासी स्वां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.।
8. रेवताराम पुत्र हनुमान जाति गुर्जर निवासी स्वां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज
9. महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.।
10. बनारसी पुत्री हनुमान जाति गुर्जर निवासी स्वां तहसील खेती जिला झुंझुनू राज।
11. धनकोरी पुत्री हनुमान जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
12. गुलाब पुत्री हनुमान जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
13. सरला पुत्री हनुमान जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
14. जयराम पुत्र श्योचन्द जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
15. चुन्नीलाल पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी रवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
16. घुडाराम पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
17. श्योबाई पत्नी भोमा जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
18. मालाराम पुत्र भोमा जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
19. सुमेर सिंह पुत्र भोमा जाति गुर्जर निवासी रवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
20. लीलाराम पुत्र भोमा जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज
21. रोहताश पुत्र भोमा जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
22. अणची पत्नी गुगनराम जाति गुर्जर निवासी स्वां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
23. श्रवण कुमार पुत्र गुगनराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेजड़ी जिला झुंझुनू राज।
24. जगदीश पुत्र गुगनराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
25. मूलचन्द पुत्र गुगनराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
26. रामसिंह पुत्र गुगनराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
27. सुशीला पुत्री गुगनराम जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
28. गिरधारी पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
29. भाताराम पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
30. संतरा देवी पत्नी शेरसिंह जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
31. शीशराम पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
32. विक्रम पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
33. सन्ती पुत्री रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
34. चिड़िया पुत्री रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज।
35. सुलतान पुत्र गणपत जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज0 **(मृतक)**

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

35/1. सन्तरा पत्नि सुलतान
35/2. कृष्ण पुत्र सुलतान
35/3. राजपाल पुत्र सुलतान
35/4. सुमन पुत्री सुलतान
समस्त जाति गूर्जर निवासीगण रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
36. आई.ओ.बी. शाखा कोलिहान नगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनू राज जरिये शाखा प्रबन्धक।
37. उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुंझुंनू राज.
38. राज. सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुंनू राज.

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1.	श्री महीपाल दौराता	अधिवक्ता	वादीगण की ओर से
2.	श्री अमर सिंह गूर्जर	अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1, 31 लगा. 34

दावा :– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

दिनांक :– 02–02–2023

–: निर्णय :–

वादी की ओर से दिनांक 24–08–2015 को इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि :–

1. यह कि वाके ग्राम रवां तहसील खेतडी जिला झुंझुनू राज. स्थित हाल खाता संख्या 113 के हाल खसरा नम्बर 675 रकबा 0.44 हैक्टर, खरारा नम्बर 676 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 680 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 689 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 690 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 693 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.79 हैक्टर, कुल किता 16 कुल रकबा 7.68 हैक्टर भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 35 खातेदार दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वादी ने दिनांक 17.6.1983 को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. भगवानाराम पुत्र चन्द्रा के उसके हिस्से की भूमि गत खसरा नम्बर 470 रकबा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 471 रकबा 15 बिस्वा कुल एक बीघा 6 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद कर कब्जा उसी दिन प्राप्त कर लिया था ओर वादी अब उक्त भूमि पर बिना किसी बाधा के निरन्तर सभी की जानकारी में खुल्ले रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है।
3. यह कि वादी ने अभी तक राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज नही करवाया तथा अभी तक उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चली आ रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता छोटी का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार से स्व. भगवानाराम के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।
4. यह कि गत खसरा नम्बर 470, 471 के हाल खसरा नम्बर 687 रकबा 0.43 हैक्टर निर्मित हुये है। तथा वादी हाल खसरा नम्बर 687 रकबा 0.43 हैक्टर में से अपनी खरीद सुदा भूमि 1 बीघा 6 विस्वा यानि 0.325 हेक्टर भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। ओर उक्त भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। तथा यह रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम किया जाना न्यायोचित है।
5. यह कि अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई है इसलिये अब प्रतिवादी संख्या 1 वादी के 0.325 हैक्टर रकबा पर जबरन से कब्जा कर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर, रहन, बैचान आदि करने की धमकी दे रहा है ओर वादी के खरीद सुदा भूमि जिस पर उसका कब्जा काश्त है उस पर दखलंजादी करने की धमकी दे रहा है जबकि उसे कोई हक व अधिकार नही है। अगर उक्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 करता है तो वादी की अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसका मुद्रां में मूल्याकन नहीं किया जा सकेगा।
6. यह कि खातेदार गुलाब पुत्र गणपत का नाऔलाद, अविवाहित देहान्त हो चुका है उसका हिस्से उसके भाईयो में मर्ज हो चुका है।
7. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि में वादी का नाम दर्ज नही होने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन गलत रिकार्ड की आड में रहन, बैचान, दान आदि की धमकी देने से पैदा हुआ है। अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

8. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम रवां में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में आती है। अतः उक्त वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

9. यह कि दावा निर्धारित कोर्ट फीस पर सेवामें पेश है ।

10. यह कि वाद वर्णित भूमि का हाल रिकार्ड अपडेटेड पेश किया है। वादी ने कोई रहन वेचान आदि नही किया है। शपथ पत्र संलग्न है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(ए) कि वाके ग्राम रवां तहसील खेतडी स्थित हाल खसरा नम्बर 687 रकबा 0.43 हैक्टर भूमि में से 0.325 हैक्टर भूमि का वादी को खावेदार घोषित किया जाकर यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम की जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे । तथा वादी के 0.325 हेक्टर भूमि का खाता अलग से कायम किया जाकर लगान भी अलग से कायम किये जाने की कृपा करे।

(बी) कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम स्वां स्थित भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 0.43 हैक्टर भूमि को रहन, दान, बेचान आदि ना करे एवं वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में कोई दखलजांदी पैदा ना करे ऐसा ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 37 व 38 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किसी भी विलेख का पंजिबृद्ध ना करे।

(सी) कि वाद वादी डिक्री किया जावे तथा अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से आयाचित रह गया हो वादी को दिलवाये जाने की कृपा करे।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 2, 6, 7, 15, 21, 24, 28, 37, 38 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 से 5, 8 से 14, 16 से 20, 22, 23, 25 से 27, 29, 30, 35/1 से 35/4, 36 के विरूद्ध वादी का कोई अनुतोष नहीं होने पर इनके विरूद्ध की कार्यवाही बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 31 से 35 ने इस आशय का जवाब दावा पेश किया कि :–

1. यह कि दावे का खण्ड नं. 1 स्वीकार है।

2. यह कि दावे का खण्ड नं. 2 अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 1 के पिता ने उसकी भूमि ख. नं. 470 रकबा 11 बिस्वा व 471 रकबा 15 बिस्वा कुल 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कभी भी वादी को बेचान नहीं किया व ना ही वादी को कभी कब्जा दिया। उक्त भूमि पर पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 का पिता व वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 शान्ति पूर्वक निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चला आ रहा है।

3. यह कि दावे का खण्ड नं. 3 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है। जब वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के पिता से उक्त भूमि खरीदी ही नहीं तो उसके नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उक्त भूमि स्व. भगवाना की खातेदारी में थी, जिसकी मृत्यु पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम नियमानुसार पैतृक भूमि होने व काबिज काश्त होने व भगवाना का विधिक वारिस होने से दर्ज हुई। वादी का उक्त भूमि से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है।

4. यह कि दावे का खण्ड नं. 4 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है वाद वर्णित भूमि ख. नं. 687 रकबा 0.43 हेक्टर सम्पूर्ण पर प्रतिवादी सं.1 का कब्जा काश्त है। वादी को उक्त भूमि की फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने व प्रतिवादी सं.1 के हिस्से में से 0.325 है. भूमि कम करवाने का कोई अधिकार नहीं है।

5. यह कि दावे का खण्ड नं. 5 अस्वीकार है। उक्त वाद वर्णित भूमि ख. नं. 687 रकबा 0.43 हैक्टर प्रतिवादी सं.1 की खातेदारी की भूमि है जिसपर वह काबिज काश्त है। उक्त भूमि के उपयोग उपभोग हेतु वह स्वतंत्र है। वादी को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में दखलदाजी पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी को कोई अपूर्तनिय क्षति नहीं हो रही है। वादी का दावा गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है।

6. यह कि दावे का खण्ड नं. 6 रिकार्ड से संबंधित है।

7. यह कि दावे का खण्ड नं. 7 अस्वीकार है दावे के लिये कोई आधार विवाद पैदा नहीं हुआ। यदि प्रतिवादी सं. व उसके पिता उक्त भूमि को बेचना चाहते तो पूर्व में ही बेच चुके होते। उक्त भूमि पर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश भी नहीं था। परन्तु प्रतिवादी सं.1 उक्त भूमि पर काश्त करता है तथा उक्त गलत विकय पत्र वादी ने दिनांक 17.06.1983 का बताया है इसलिये दावा मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

8. यह कि दावे का खण्ड नं. 8 कानूनी है उतर की आवश्यकता नहीं है।

9. यह कि दावे का खण्ड नं 9 कानूनी है उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

10. यह कि दावे का खण्ड नं. 10 रिकार्ड से संबंधित है इसलिये उतर की आवश्यकता नहीं है।

अनुतोष अस्वीकार है।

अतिरिक्त उतर

11. यह कि वादी ने गलत विकय पत्र दिनांक 17.06.1983 के आधार पर व बिना कब्जा काश्त के आधार पर दावा किया है व गलत विक्रय पत्र 17.06.1983 की आड़ में प्रतिवादी सं.1 की जमीन हड़पना चाहता है इसलिये विक्रमसिंह वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त न होने से व दावा मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

12. यह कि प्रतिवादी सं. 37 व 38 लोक सेवक है जिनके विरूद्व दावा करने से पूर्व उन्हें दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 सी. पी.सी. के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना आवश्यक है व नोटिस नहीं देने की एवज में धारा 80(2) सी पी सी के अन्तर्गत वाद लाने हेतु न्यायालय की अनुमति लेकर ही वाद पेश किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में ना तो प्रतिवादी सं. 37 व 38 को नोटिस दिया गया है व नाही न्यायालय से अनुमति प्राप्त की है जो एक आज्ञापक (मैन्डेट्री प्रोविजन) प्रावधान है इसलिये दावा खारिज होने योग्य है।

13. यह कि खातेदार प्रतिवादी सं. 35 सुलतान पुत्र गणपत का दिनांक 6.11. 2017 को स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान को 3 माह में कानून पक्षकार बनाया जाना था तथा संशोधित शिर्षक पेश करना आवश्यक था जो वादी ने निर्धारित अवधि में पेश नहीं किया है इसलिये वादी का दावा अबेट होने से खारिज होने योग्य है तथा खातेदार भाता पुत्र कालू प्रतिवादी सं. 29 भी दो साल पूर्व फोत हो चुका है जिसका भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है इसलिये वाद चलने योग्य नहीं है।

14. यह कि रिकार्डेड खातेदार को अजनबी व्यक्ति द्वारा पाबन्द नहीं करवाया जा सकता। उक्त भूमि के प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं व काबिज काश्त हैं। वादी ने जिस गलत विक्रय पत्र के आधार पर दावा पेश किया है उस विकय पत्र में उक्त प्रतिवादीगण पक्षकार नहीं है इसलिये वाद वादी आधारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

15. यह कि यदि सच में वादी उक्त भूमि को क्रय करता तो स्वाभाविक है कि उसी वक्त वह अपने नाम नामान्तकरण भी दर्ज करवाता परन्तु अब 32 साल बाद प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी की मृत्य के पश्चात अब नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु यह झूठा दावा पेश किया है।

अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का दावा मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करे।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक कायम किये गये :–

1. आया वादीगण विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1983 के आधार पर ग्राम रवां स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 687 रकबा 0.43 हेक्टेयर में से रकबा 0.3250 हेक्टेयर के खातेदार काश्तकार घोषित होने के तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है ?
   ..... प्रमाण भार वादीगण

2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि में कब्जे काश्त व दखलंदाजी की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है ?
   ..... प्रमाण भार वादीगण

3. आया वादी ने गलत विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1983 के आधार पर व बिना कब्जा काश्त के आधार पर दावा किया है व गलत विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1983 की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन हड़पना चाहता है इसलिये वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त न होने से दावा मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है ?
   ..... प्रमाण भार प्रतिवादी संख्या 1 व 31 लगायत 34

4. दादरसी क्या होगी ?

वादीगण की ओर से निम्न साक्ष्य पेश की गई :–

1. नकल जमाबन्दी ग्राम रवां संवत 2068–2071 खाता संख्या 113 (प्रदर्श–1)
2. नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम रवां (प्रदर्श–2)
3. विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1983 की प्रति (प्रदर्श–3ए)
4. नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम रवां (प्रदर्श–4)
5. नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम रवां (प्रदर्श–5)
6. नकल जमाबन्दी ग्राम रवां संवत 2043 खाता संख्या 43 (प्रदर्श–6)
7. नकल जमाबन्दी ग्राम रवां संवत 2052–55 खाता संख्या 108 (प्रदर्श–7)
8. नकल जमाबन्दी ग्राम रवां संवत 2044–47 खाता संख्या 50 (प्रदर्श–8)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

9. नकल जमाबन्दी ग्राम रवां संवत 2068–71 खाता संख्या 113 (प्रदर्श–9)
10. नकल जमाबन्दी ग्राम रवां संवत 2064–67 खाता संख्या 159 (प्रदर्श–10)
11. नकल जमाबन्दी ग्राम रवां संवत 2056–59 खाता संख्या 129 (प्रदर्श–11)
12. नकल जमाबन्दी ग्राम रवां संवत 2018–21 खाता संख्या 72 (प्रदर्श–12)
13. मौखिक साक्ष्य में रामकिशन का शपथ पत्र (पी.डब्लू–1)

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, लेखीय दस्तावेजात् व वादी के वाद पत्र के अभिवचनों तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। अधिवक्ता वादीगण ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष खाता विभाजन का एक अन्य वाद विचाराधीन है। वादीगण उस वाद में खाता विभाजन के अनुतोष की चाराजोही करेगें। इसलिये इस वाद में खाता विभाजन का अनुतोष विड्रा समझा जावे।

वादी/वादीगण के वाद पत्र का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी संख्या –1 उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। नकल जमाबन्दी संवत 2018–21 के खाता संख्या 72 (प्रदर्श–12) के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि गत खसरा नम्बर 470 रकबा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 471 रकबा 15 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं अन्य खसरा नम्बरों की खातेदारी हिस्सा 1/3–1/3 बंशी, सुरजा, भगवाना पुत्रान चन्द्रा के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। भूमि गत खसरा नम्बर 470 रकबा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 471 रकबा 15 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 6 सम्पूर्ण को भगवाना पुत्र चन्द्रा द्वारा अपने हिस्से में मानते हुये उक्त खसरा नम्बरान का सम्पूर्ण रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1983 के वादी बनवारीलाल पुत्र ओंकार जाति गूर्जर निवासी रवां को विक्रय किया गया है। उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने से वादी ने हस्तगत वाद पत्र पेश किया है। वादी की मृत्यु हो चुकी है। वादी के विधिक वारिसान वादी संख्या 1/1 से 1/10 वाद में दर्ज है। विक्रेता भगवाना पुत्र चन्द्रा का भी देहान्त हो गया है जिसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी पत्नि छोटी देवी है। छोटी देवी का भी देहान्त हो गया है। इसलिये अब विक्रेता भगवाना पुत्र चन्द्रा का एक ही विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ख्यालीराम है। वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 470 रकबा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 471 रकबा 15 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 6 व गत खसरा नम्बर 472 मीन, 473 मीन से नया खसरा नम्बर 687 रकबा 0.43 हेक्टेयर निर्मित हुआ है जो हाल जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 114 में अन्य खसरा नम्बरान कुल किता 16 कुल रकबा 7.68 हेक्टेयर के साथ दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व छोटी देवी पत्नि भगवाना का 1/15 हिस्सा अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज है। वादीगण विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1983 के आधार पर ग्राम रवां स्थित हाल खाता संख्या 113 के कुल किता 16 कुल रकबा 7.68 हेक्टेयर में पूर्व से दर्ज अपने हिस्से के अतिरिक्त रकबा 0.3250 हेक्टेयर के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी पाये जाते है। चूंकि खसरा नम्बर 687 रकबा 0.43 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 व मृतका छोटी देवी पत्नि भगवाना का हिस्सा कम होने से तथा उक्त खसरा नम्बर में गत अन्य खसरा नम्बरान का रकबा शामिल होने से खसरा विशेष दिया जाना संभव नहीं है। अतः तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या –2 उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि अन्य खसरा नम्बरान के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या –3 उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 31 लगायत 34 पर है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है। मूल विक्रय पत्र को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रदर्शित भी करवाया है। यदि पंजीकृत विक्रय पत्र गलत है तो प्रतिवादीगण को उक्त विक्रय पत्र को समक्ष न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए थी जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दी गई है। अतः यह कहना गलत होगा कि पंजीकृत विक्रय पत्र गलत है। प्रतिवादीगण का यह कहना भी गलत है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। जबकि जमाबन्दी से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि एवं अन्य खसरा नम्बरान के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। अधिकार घोषणा के वाद में कानूनन कोई मियाद निर्धारित नहीं है। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

क्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। इसलिये तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध र्णित की जाती है।

नकी संख्या :– 4 अनुतोष ?

तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में व तनकी संख्या 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध था तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध होना पाया गया है। इसलिये वादीगण के वाद का धिकार घोषणा का अनुतोष साबित होने से वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। उभय पक्षकारान ो अन्य अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का हस्तगत वाद विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1983 के आधार पर स्वीकार कर राजस्व ाम रवां पटवार मण्डल रवां स्थित भूमि खाता संख्या नया 113 खसरा नम्बर क्रमशः 675, 676, 678, 680, 82, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 832, 834 किता 16 कुल रकबा 7.68 हेक्टेयर में ादी संख्या 1/1 से 1/10 को उनके पूर्व से दर्ज हिस्से के अतिरिक्त रकबा 0.3250 हेक्टेयर का हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का हसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। घोषित रकबा प्रतिवादी संख्या 1 व मृतका छोटी पत्नि स्व. गवाना जाति गूर्जर के हिस्से से कम किया जाये। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

(मृतक) बनवारी लाल

बनाम

ख्यालीराम आदि

दावा बाबत :– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :– 120 / 2015
GCMS NO. 2015 / 00737
निर्णय दिनांक :– 02–02–2023

वादीगण की ओर से **श्री महीपाल दौराता एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 व 31 लगायत 34 की ओर से **श्री अमरसिंह गूर्जर एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02–02–2023** को **जय सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

" वादीगण का हस्तगत वाद विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1983 के आधार पर स्वीकार कर राजस्व ग्राम रवां पटवार मण्डल रवां स्थित भूमि खाता संख्या नया 113 खसरा नम्बर क्रमशः 675, 676, 678, 680, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 832, 834 किता 16 कुल रकबा 7.68 हेक्टेयर में वादी संख्या 1/1 से 1/10 को उनके पूर्व से दर्ज हिस्से के अतिरिक्त रकबा 0.3250 हेक्टेयर का बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। घोषित रकबा प्रतिवादी संख्या 1 व मृतका छोटी पत्नि स्व. भगवाना जाति गूर्जर के हिस्से से कम किया जाये। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **02–02–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner